राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अत्यावश्यक सूचना

वर्ष 2023–24 के सत्र से राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में सामान्य विषयों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में Choice based credit system एवं Semester System लागू करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार के परम्परागत विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर के स्तर पर Choice based credit system एवं Semester System की शुरूआत वर्ष 2018–19 से ही हो गई थी। वर्ष 2022–23 के सत्र से पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर भी Choice based credit system एवं Semester System की शुरूआत कर दी गई है।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को एक समान अवसर मिले तथा वे अपनी सुविधानुसार एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के लिए जा सकें, इसी परिप्रेक्ष्य में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर Choice based credit system एवं Semester System लागू किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में वर्ष 1988 के उपरान्त Syllabus का पुनरीक्षण नहीं किया गया था एवं इस दृष्टिकोण से वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के मद्देनजर Syllabus का पुनरीक्षण भी आवश्यक था।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था में भी जो छात्र मात्र स्नातक की डिग्री पाना चाहते हैं, उन्हें 6 सेमेस्टर अर्थात् 3 वर्षों में स्नातक की डिग्री उपलब्ध हो जायेगी। सामान्य छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए तीन वर्षों तक ही अध्ययन करना होगा। चतुर्थ वर्ष का विकल्प केवल उन छात्रों के लिए है जो अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा अथवा विदेशों में पढ़ाई करने के लिए या अन्य विश्वविद्यालय जहाँ उच्चतर शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर चार वर्ष की शिक्षा आवश्यक हो, वहाँ प्रवेश पाना चाहते हों। यह विकल्प भी केवल वे छात्र ले पायेंगे जो तीन वर्षों में निर्धारित ग्रेड से ऊपर का ग्रेड प्राप्त किये हों। चार वर्ष उपरान्त उन्हें रिसर्च सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी।

इस प्रकार यह अवधारणा सही नहीं है कि सभी छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए चार वर्षों की पढ़ाई आवश्यक होगी। चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रम के उपरान्त आगे की पढ़ाई स्नातकोत्तर अथवा सीधे शोध में जाने का विकल्प खुला रहेगा। जो छात्र 3 साल में स्नातक की डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री 2 साल अर्थात 4 सेमेस्टर का होगा और जो छात्र चार वर्षीय स्नातक डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री एक वर्ष अर्थात 2 सेमेस्टर का होगा। इस संबंध में सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त विस्तृत दिशा–निर्देश कुलाधिपति कार्यालय द्वारा बाद में जारी किये जायेंगे।

25.5.2023

(रॉबर्ट एल० चोंग्थू)

राज्यपाल के प्रधान सचिव